सड़क सुरक्षा

एक परिदृश्य

2019

उत्तराखण्ड शासन

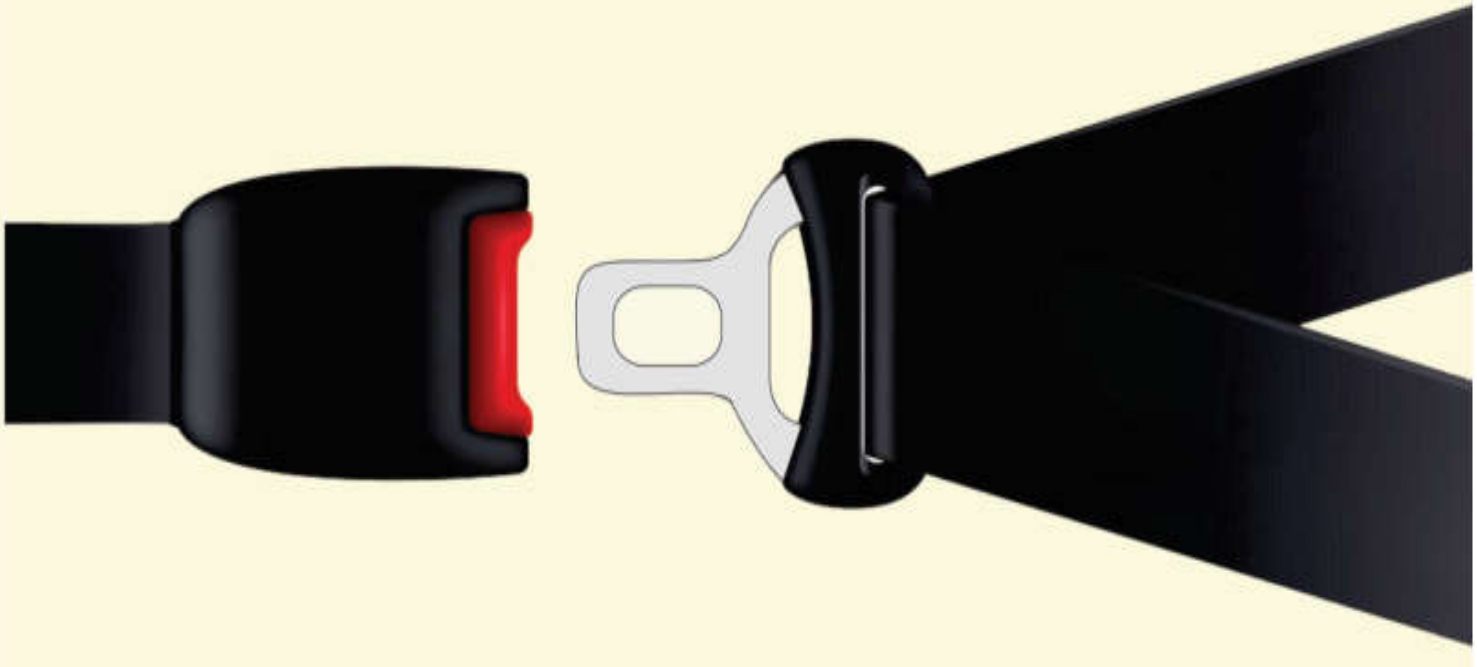

सड़क सुरक्षा : एक परिदृश्य

2019

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड

कार्यालय परिवहन आयुक्त, कुल्हान सहस्त्रधारा रोड, देहरादून

web site: transport.uk.gov.in

विषय सूची

1.	प्रस्तावना	1-3
2.	भारत एवं उत्तराखण्ड में विगत 10 वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाओं का तुलनात्मक विवरण	4-5
3.	राज्य में वर्ष 2019 में घटित दुर्घटनाओं का विश्लेषण	6-22
4.	जनपदवार वाहनों की संख्या एवं जनसंख्या	23
5.	राज्य में सड़कों की स्थिति, ब्लैक स्पॉट आदि	24-25
6.	दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उठाये गये कदम	26-30
7.	भविष्य की योजनाएं	31-32

प्रस्तावना

वर्तमान में औद्योगिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास में परिवहन क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। परिवहन सुविधाओं के विस्तार ने विश्व की भौगोलिक एवं राजनैतिक सीमाओं को पार कर वैश्विक संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सड़क अभियांत्रिकी तथा वाहन प्रौद्योगिकी के निरन्तर विकास से विश्व के प्रत्येक भूभाग में सड़कों का विस्तार हो रहा है तथा सड़कों पर वाहनों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। इससे जहाँ एक ओर मानव के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है, वहीं दूसरी ओर सड़क दुर्घटनाएं, पर्यावरण प्रदूषण, वाहन पार्किंग हेतु भूमि की उपलब्धता तथा सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती माँग जैसी चुनौतियाँ भी उत्पन्न हो रही हैं।

उत्तराखण्ड राज्य में रेल सेवाओं एवं हवाई सेवाओं का विस्तार कम होने की कारण सड़क परिवहन यातायात का मुख्य साधन है। राज्य की कुल सड़कों का लगभग 80 प्रतिशत भाग पर्वतीय हैं, जहाँ पर सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित चुनौतियाँ और भी अधिक गम्भीर हैं। खराब सड़कें, लापरवाही से वाहन चलाने, वर्षा के कारण होने वाले भूमि कटाव तथा पहाड़ी ढालों पर स्थित गहरी खाईयों के कारण प्रायः दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। साथ ही पर्याप्त मात्रा में अनुपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के कारण पर्वतीय मार्गों पर घटित दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है।

विगत वर्षों में उत्तराखण्ड उत्तरी भारत के एक प्रमुख पर्यटक राज्य के रूप में भी विकसित हो रहा है। राज्य में स्थित धार्मिक एवं प्राकृतिक स्थल बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रत्येक वर्ष सम्पन्न होने वाली चारधाम यात्रा में करोड़ों की संख्या में पर्यटक अन्य राज्यों से राज्य में आते हैं, जिससे राज्य में अन्य राज्य से आने वाले वाहनों की संख्या भी अत्यधिक है। इन परिस्थितियों में सड़क दुर्घटनाओं को रोकना एवं इससे होने वाली जनहानि को नियंत्रित करने की चुनौती सदैव बनी रहती है।

सड़क दुर्घटनाओं का प्रभाव न केवल पीड़ित व्यक्तियों एवं उनके परिवारों पर पड़ता है अपितु ये समाज की आर्थिक एवं सामाजिक दशा को भी प्रभावित करती हैं। विगत वर्ष में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह देखा गया है कि इन दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले व्यक्तियों में सर्वाधिक व्यक्ति 25 से 45 आयु वर्ग के हैं, जो कि समाज का प्रमुख उत्पादक आयु वर्ग है। परिवार के मुख्य उत्पादक की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद प्रायः परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक दशा हीन हो जाती है, जिसका दूरगामी प्रभाव राज्य की विकास दर पर पड़ता है।

सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि ये दुर्घटनाएं अनेक कारकों पर निर्भर करती हैं, जैसे चालक की लापरवाही, वाहन में क्षमता से अधिक यात्री/माल का

वहन करना, खराब सड़कें, यात्रियों की लापरवाही/अनभिज्ञता, वाहन में यात्रिंक खराबी तथा खराब मौसम, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सड़क सुरक्षा विषय किसी विशिष्ट क्षेत्र से सम्बन्धित न होकर एक बहुआयामी एवं समावेशी विषय है तथा परिवहन, पुलिस, सड़क अभियांत्रिकी, शिक्षा तथा चिकित्सा सेवा इसके प्रमुख हितधारक विभाग है।

वर्तमान परिस्थितियों में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मानव एवं भौतिक दोनों ही संसाधनों की गुणवत्ता सुधार पर पर्याप्त बल दिये जाने की आवश्यकता है। मानव संसाधन के रूप में चालकों तथा यात्रियों दोनों को सड़क सुरक्षा के प्रति प्रशिक्षित एवं जागरूक किया जाना आवश्यक है, इस हेतु चालकों की दक्षता विकास के लिये राज्य में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जा रही है, जिनमें चालकों को लाईसेन्स दिये जाने से पूर्व दक्षता परीक्षण हेतु आधुनिक मशीनों (सेमुलेटर) तथा मोबाइल आधारित एप्लीकेशन का प्रयोग किया जा रहा है साथ ही समय–समय पर उनके लिए रिफ्रैशर ट्रैनिंग कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं। जनसामान्य में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता तथा सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए सड़क सुरक्षा कार्यशालाओं, रैली, विद्यालय स्तर पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। खराब सड़कें भी सड़क दुर्घटना का एक प्रमुख कारक हैं, अतः इनके सुधार हेतु प्रदेशभर में पुलिस एवं जिला सड़क सुरक्षा समितियों द्वारा दुर्घटना कारक स्थलों को ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना संभावित स्थलों के रूप में चिन्हित किया जा रहा है तथा प्राथमिकता के आधार पर इनका सुधार किया जा रहा है, इसके साथ ही दुर्घटना संभावित जंक्शनों पर ट्रैफिक कॉमिंग मेजर्स उपलब्ध कराये जा रहे है।

सड़क अभियांत्रिकी को त्रुटिहीन बनाने के लिए, प्रत्येक सड़क का सड़क सुरक्षा ऑडिट कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है तथा 05 किमी से लंबी प्रत्येक नवीन सड़क के निर्माण से पूर्व डिजाइन स्टेज आडिट कराया जा रहा है, जिससे सड़क के निर्माण स्तर पर ही सड़क सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित किया जा सकें।

सड़क दुर्घटना के पीड़ित व्यक्तियों में पैदल यात्रियों की निरन्तर बढ़ती संख्या को देखते हुए पैदल यात्रियों की सुरक्षा हेतु भी विशेष प्राविधान किये जा रहे है, जैसे कि जैब्रा क्रासिंग, फुटपाथ, अण्डर पास, फुट ओवर, ब्रिज टेबल टॉप आदि का निर्माण जिससे कि पैदल यात्रियों के सुरक्षित मार्ग के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके।

विगत वर्षो में उत्तराखण्ड राज्य के सड़क दुर्घटना के आंकडो की तुलना राष्ट्रीय सड़क दुर्घटना के आंकडो से करने पर यह ज्ञात होता है कि राज्य में प्रति 100 दुर्घटनाओं मे मारे जाने वाले व्यक्तियों का औसत राष्ट्रीय औसत की तुलना में उच्च है, जिसका प्रमुख कारण राज्य की कठिन

भौगोलिक परिस्थितियां तथा पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा एवं ट्रामा केयर सुविधाओं का अभाव है। वर्तमान में राज्य के 13 जनपदों में 15 ट्रामा केयर सेन्टर स्थापित किये गये है, जो कि स्थानीय जिला/सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रो के साथ संचालित किये जा रहे है। इन केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में मानव एवं भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं है, जिस कारण किसी गम्भीर दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितो को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध नही हो पाती है तथा दुर्घटना में मृतकों की संख्या में वृद्धि होती है। राज्य में वर्ष 2018 एवं 2019 के सड़क दुर्घटनाओं के आंकडो की तुलना करने पर यह पाया गया कि वर्ष 2019 में वर्ष 2018 की तुलना में दुर्घटनाओं की संख्या में 7.90 प्रतिशत, मृतकों की संख्या में 17.19 प्रतिशत तथा घायलों की संख्या में 7.25 प्रतिशत की कमी आयी है। जिससे यह ज्ञात होता है कि दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आ रही है।

उपरोक्त कारकों के साथ ही प्रवर्तन कार्य की भी सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। गतिशील एवं प्रभावी प्रवर्तन कार्य से अनुशासनहीन एवं अभियोगकर्ता वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों को दण्डित कर सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित नियमों का पालन करने हेतु बाध्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिये राज्य में सड़क सुरक्षा कोष के माध्यम से आधुनिक तकनीकी युक्त इन्टरसेप्टर वाहनों, स्पीड रडार गन एवं एल्कोमीटर का क्रय किया जा रहा है, जिससे की तीव्र गति से, मादक पदार्थो का सेवन कर एवं लापरवाही से वाहन संचालित करने वाले वाहन चालकों पर कठोर प्रवर्तन कार्यवाही की जा सके।

अन्ततः यह कहा जा सकता है कि सड़क सुरक्षा एक ऐसा सामाजिक विषय है, जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति सम्बन्धित है। सड़कें समाज के विकास का मार्ग है तथा सुरक्षित सड़क परिवहन के माध्यम से ही एक विकसित एवं सुरक्षित समाज को निर्मित किया जा सकता है। अतः हम सभी का यह उत्तरदायित्व है कि एक सड़क उपयोगकर्ता के रूप में हम सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित नियमों का पालन करें तथा सजग एवं सुरक्षित रहकर सड़को का प्रयोग करें।

* * * * *

भारत एवं उत्तराखण्ड में विगत 10 वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाओं का तुलनात्मक विवरण

1. भारत में विगत 10 वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाएं, मृतक एवं घायलों का विवरण :–

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या	दुर्घटना की गम्भीरता*
2010	4,99,628	1,34,513	5,27,512	26.9
2011	4,97,686	1,42,485	5,11,394	28.6
2012	4,90,383	1,38,258	5,09,667	28.2
2013	4,86,476	1,37,572	4,94,893	28.3
2014	4,89,400	1,39,671	4,93,474	28.5
2015	5,01,423	1,46,133	5,00,279	29.1
2016	4,80,652	1,50,785	4,94,624	31.4
2017	4,64,910	1,47,913	4,70,975	31.8
2018	4,67,044	1,51,417	4,69,418	32.42
2019	4,49,002	1,51,113	4,51,361	33.7

*गम्भीरता से आशय प्रत्येक 100 दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या से है।

(स्रोत– सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

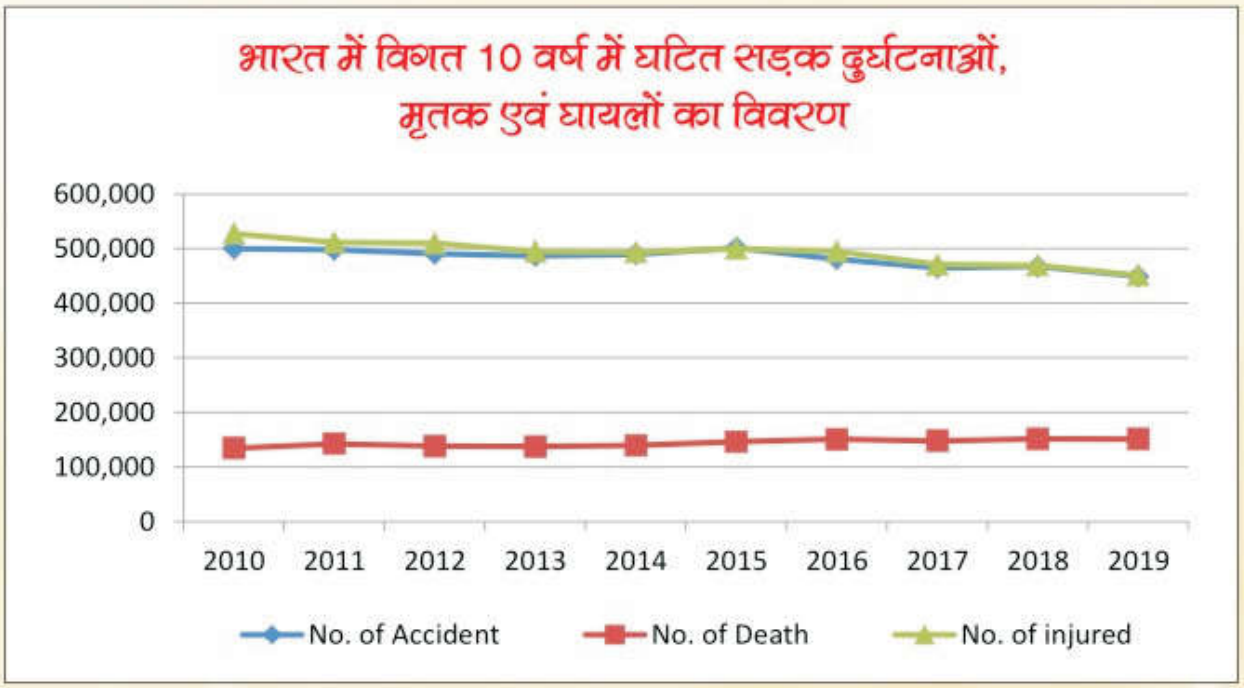

2. उत्तराखण्ड राज्य में विगत 10 वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाएं, मृतक एवं घायलों का विवरणः–

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या	दुर्घटना की गम्भीरता*
2010	1,493	931	1,656	62.4
2011	1,508	937	1,712	62.1
2012	1472	844	1577	57.3
2013	1297	766	1503	59.05
2014	1410	878	1531	62.26
2015	1523	913	1657	59.94
2016	1591	962	1735	60.46
2017	1603	942	1631	58.08
2018	1468	1047	1571	71.30
2019	1352	867	1457	64.12

*गम्भीरता से आशय प्रत्येक 100 दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या से है।

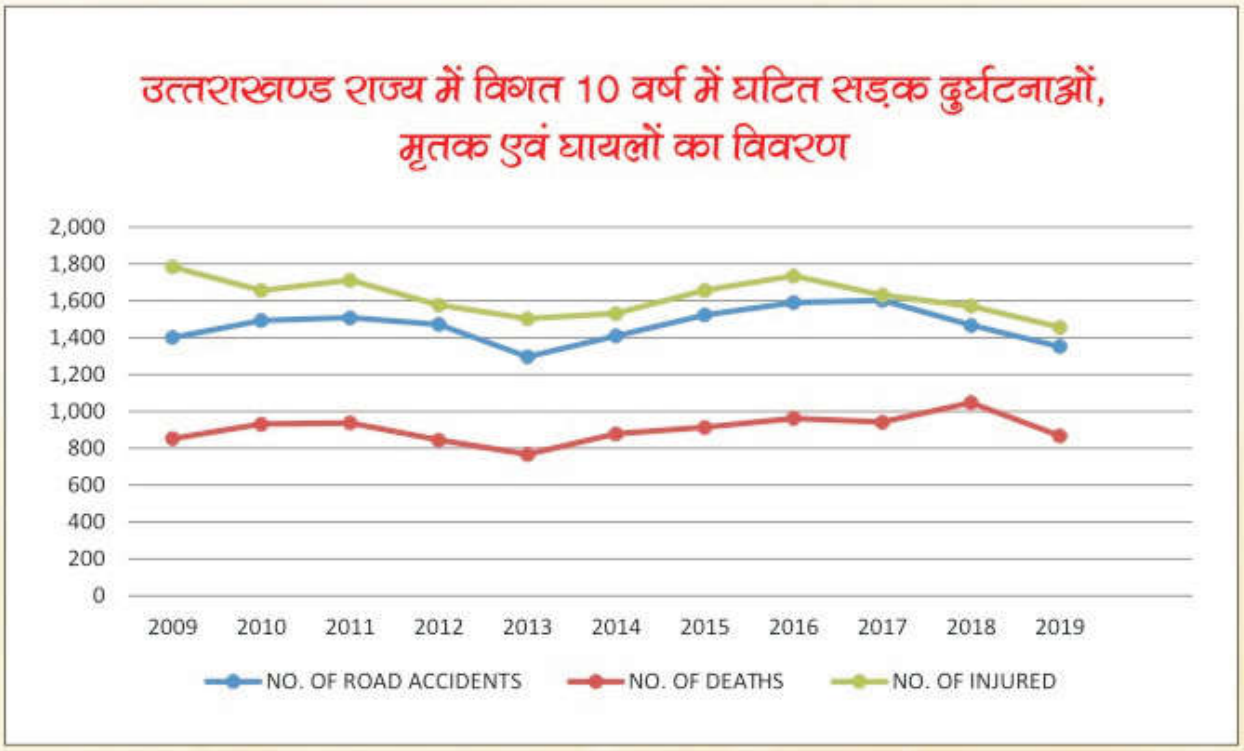

राज्य में वर्ष 2019 में घटित दुर्घटनाओं का विश्लेषण

1. राज्य में वर्ष 2018 एवं 2019 में जनपदवार घटित सड़क दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरण:–

जनपद	दुर्घटनाओं की संख्या			मृतकों की संख्या			घायलों की संख्या		
	2018	2019	प्रतिशत	2018	2019	प्रतिशत	2018	2019	प्रतिशत
चम्पावत	17	20	17.65	34	18	-47.06	35	41	17.14
देहरादून	317	328	3.47	137	168	22.63	254	288	13.39
बागेश्वर	20	05	-75.00	10	05	-50.00	22	07	-68.18
पिथौरागढ़	10	10	0.00	08	07	-12.50	10	07	-30.00
नैनीताल	199	197	-1.01	110	101	-8.18	170	170	0.00
रुद्रप्रयाग	15	19	26.67	14	17	21.43	12	43	258.33
चमोली	42	27	-35.71	29	26	-10.34	70	87	24.29
उत्तरकाशी	24	23	-4.17	71	18	-74.65	79	43	-45.57
अल्मोड़ा	13	08	-38.46	25	04	-84.00	46	14	-69.57
टिहरी	68	46	-32.35	100	81	-19.00	189	97	-48.68
उधमसिंहनगर	356	327	-7.87	226	206	-9.29	260	282	9.23
हरिद्वार	345	300	-13.04	200	184	-8.00	306	251	-17.97
पौड़ी	42	42	0.00	83	32	-61.45	118	127	7.63
योग	**1468**	**1352**	**-7.90**	**1047**	**867**	**-17.19**	**1571**	**1457**	**-7.25**

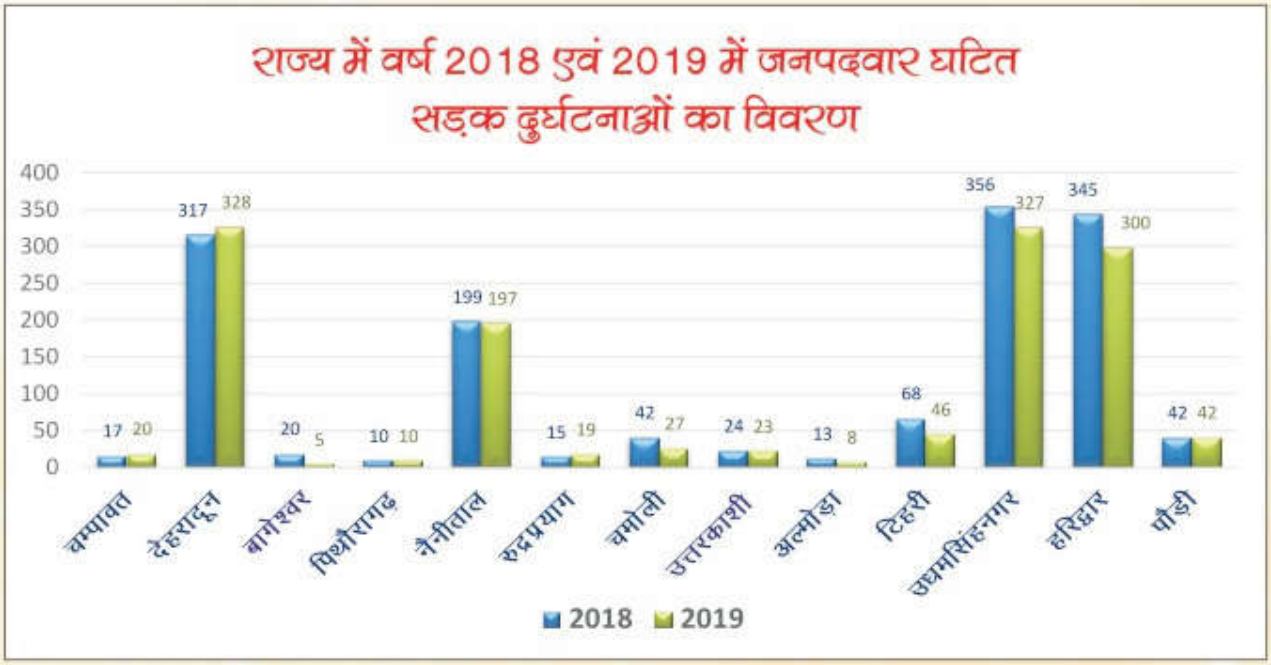

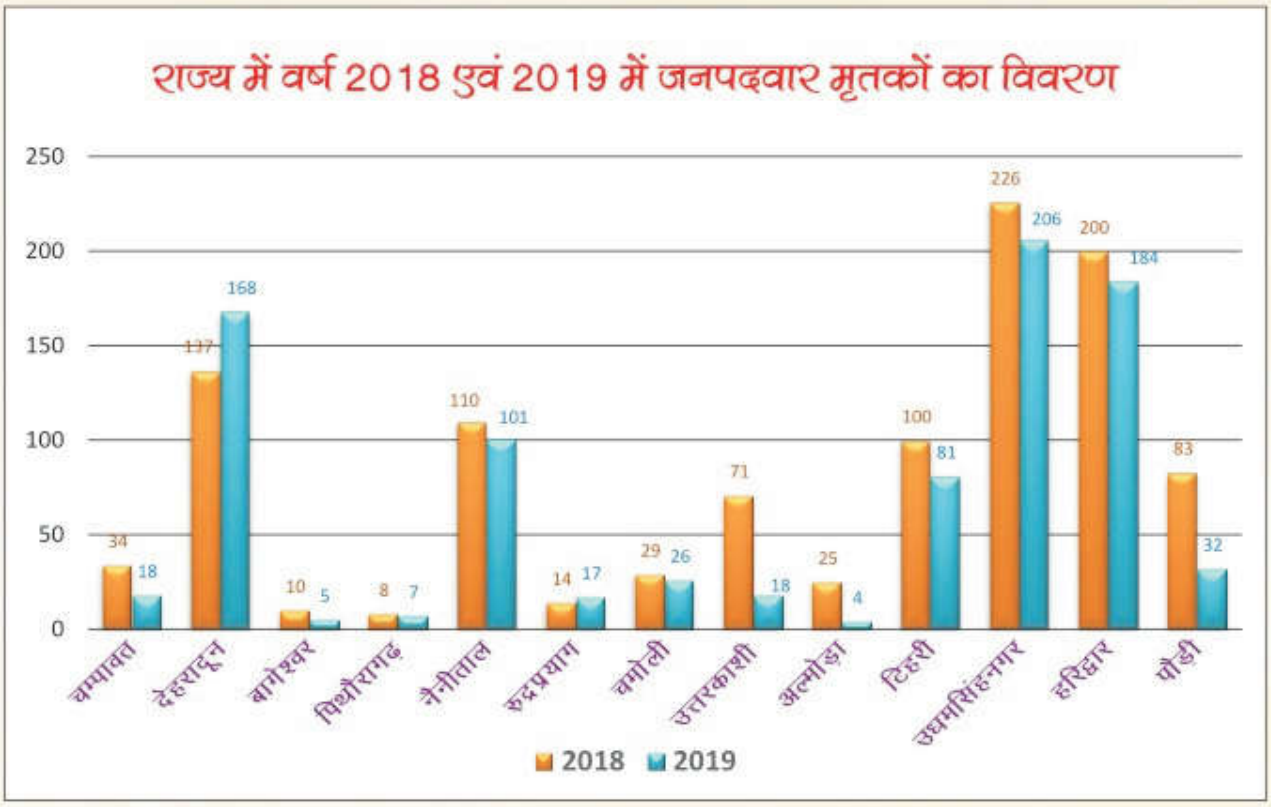

राज्य में वर्ष 2018 एवं 2019 में जनपदवार मृतकों का विवरण

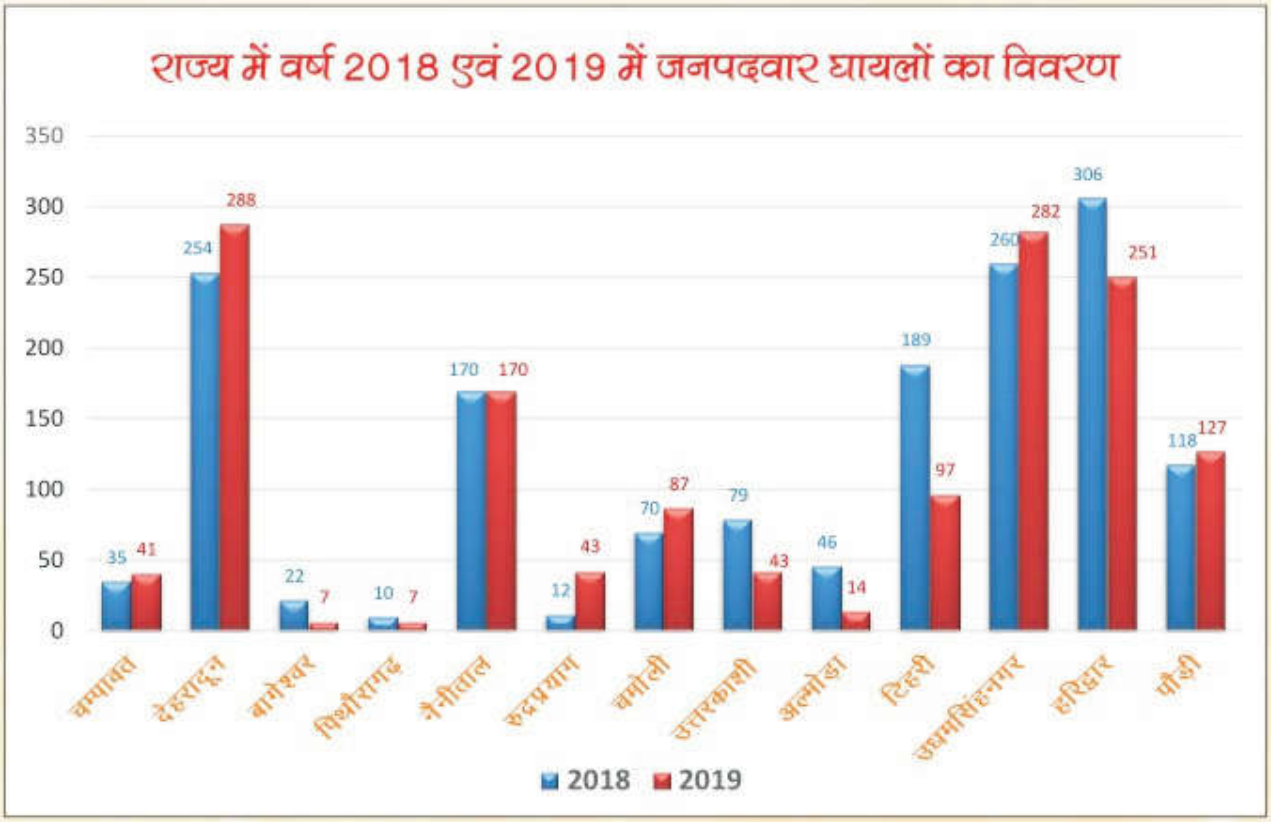

राज्य में वर्ष 2018 एवं 2019 में जनपदवार घायलों का विवरण

2. वर्ष 2019 में राज्य में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के आधार पर घटित सड़क दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरणः–

क्षेत्र का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्य	घायलों की संख्या
शहरी क्षेत्र	597	305	577
ग्रामीण क्षेत्र	755	562	880
योग	**1352**	**867**	**1457**

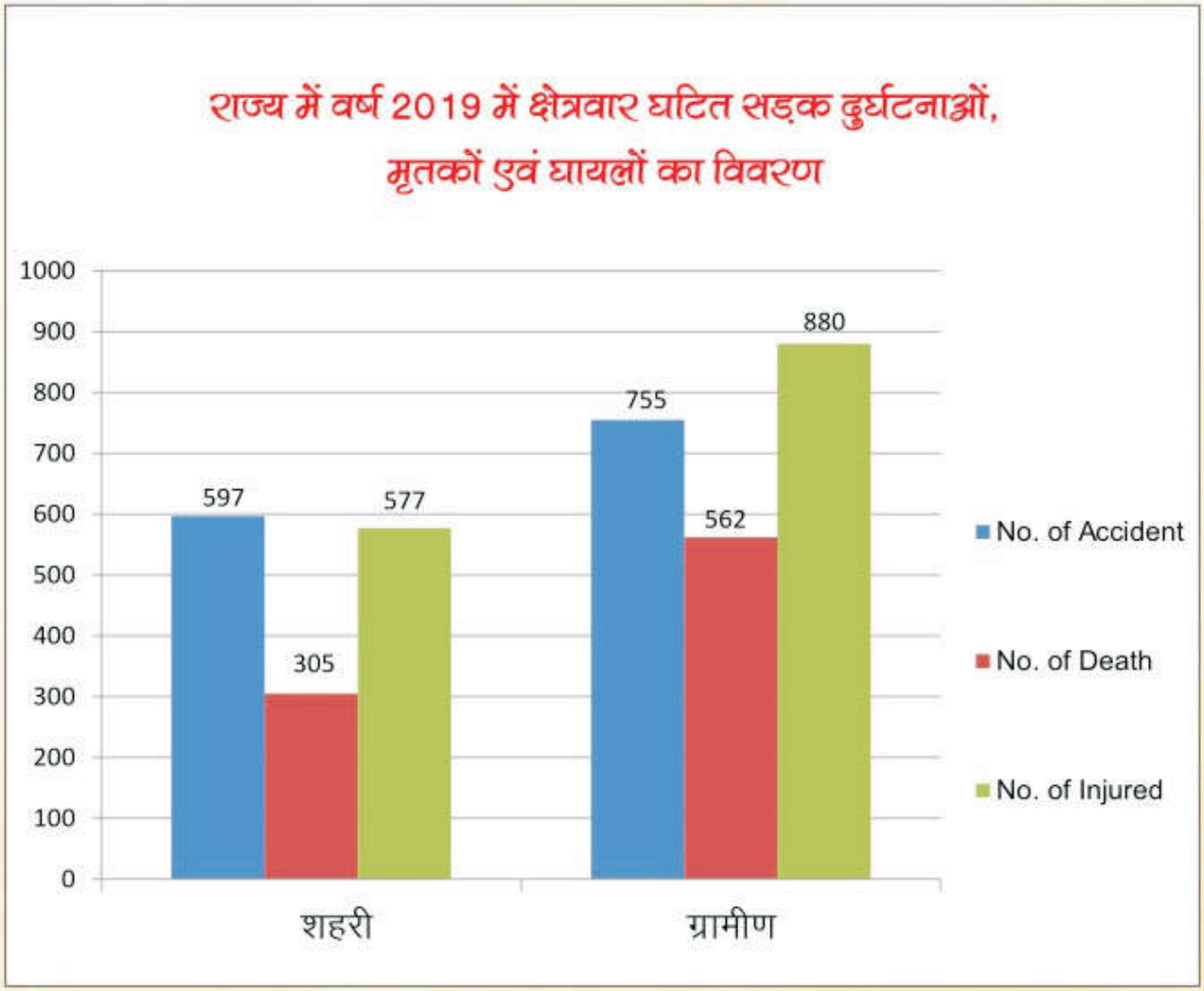

3. वर्ष 2019 में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का समयवार विवरणः–

समय	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
06:00 से 9:00 बजे (दिन)	147	110	135
09:00 से 12:00 बजे (दिन)	179	126	212
12:00 से 15:00 बजे (दिन)	200	129	300
15:00 से 18:00 बजे (दिन)	207	129	252
18:00 से 21:00 बजे (रात)	239	131	221
21:00 से 24:00 बजे (रात)	164	111	159
00:00 से 03:00 बजे (रात)	59	42	32
03:00 से 06:00 बजे (रात)	94	63	91
अज्ञात समय	63	26	55
योग	**1352**	**867**	**1457**

4. वर्ष 2019 में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का वाहनों की श्रेणी के आधार पर विवरणः–

वाहन का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
A- मोटर चालित यान			
दुपहियॉ वाहन	564	342	467
ऑटो रिक्शा	29	20	50
कार / जीप / वैन / टैक्सी	128	70	192
बस	15	07	47
ट्रक / भारी भार वाहन(एच0जी0वी0)	40	18	32
योग	**776**	**457**	**778**
गौर मोटर चालित वाहन			
ई–रिक्शा	11	09	11
साईकिल	40	29	16
साईकिल रिक्शा	–	–	–
योग	**51**	**38**	**27**
C- अन्य यान	145	166	393
पैदल यात्री	380	206	249
महायोग A+B+C	**1352**	**867**	**1457**

वाहनों की श्रेणी (मोटरचालित यान) के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण

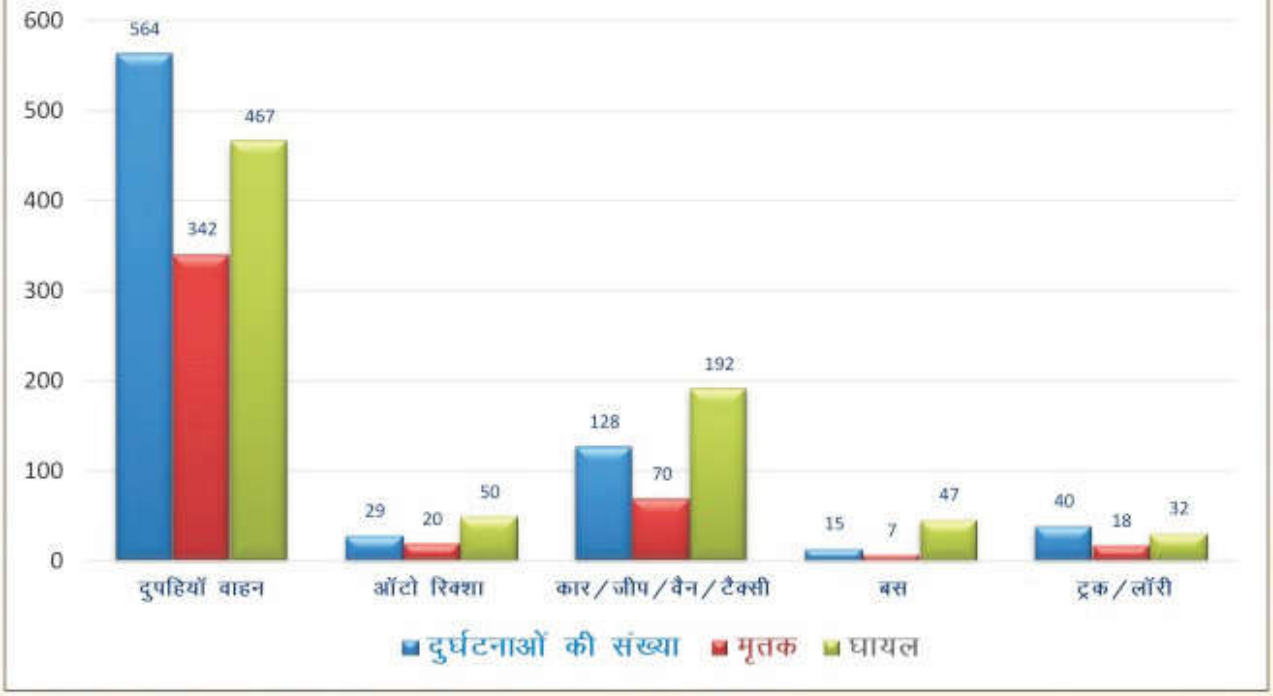

वाहनों की श्रेणी (गैर मोटरचालित यान) के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण

5. वाहनों की आयु के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण–

वाहन की आयु	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
05 वर्ष से कम	423	261	48
05 से 10 वर्ष	333	205	382
10 से 15 वर्ष	227	160	211
15 वर्ष से अधिक	85	59	66
आयु ज्ञात नही	284	182	310
योग–	**1352**	**867**	**1457**

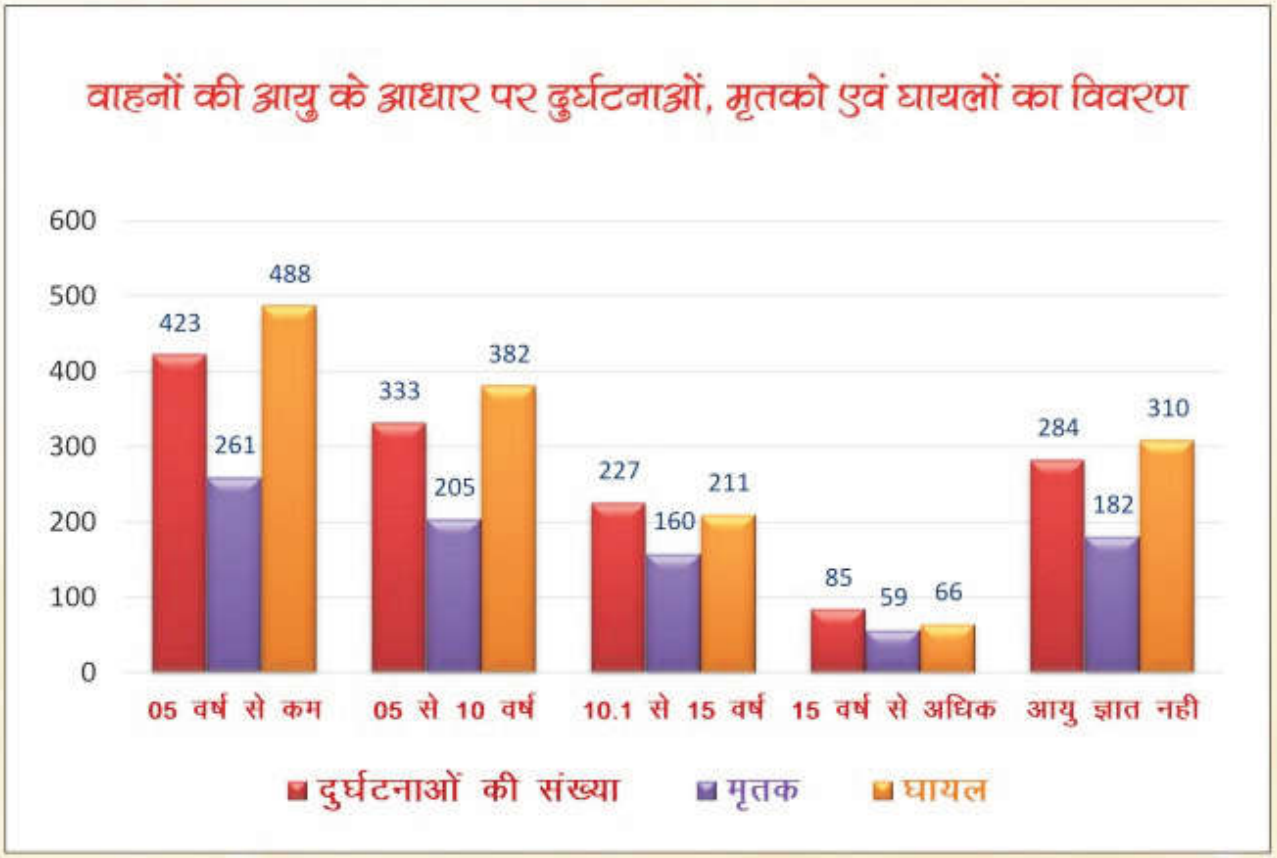

6. वर्ष 2019 में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का पीड़ितों का आयु एवं लिंगवार विवरणः–

व्यक्ति	मृतक		घायल	
आयु वर्ग	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
18 वर्ष से कम आयु	18	36	48	118
18 से 25 वर्ष	14	143	67	244
25 से 35 वर्ष	40	219	83	254
35 से 45 वर्ष	26	191	68	260
45 से 60 वर्ष	19	106	53	182
60 वर्ष से अधिक	13	29	17	43
आयु अज्ञात	01	12	04	16
योग–	131	736	340	1117

7. वाहनों के संघट्टन (टक्कर) के प्रकार के आधार पर दुघटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरण।

टक्कर का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
पीछे से टक्कर	321	176	339
वाहन का सड़क से नीचे उतरना	60	58	138
साईड से टक्कर	184	98	166
हिट एण्ड रन	177	125	92
वाहनों में आमने–सामने टक्कर	227	120	192
वाहन का पलटना	9	4	40
वाहन की किसी स्थिर वस्तु से टक्कर	4	2	8
खड़े वाहन से टक्कर	124	82	72
अन्य	246	202	410
योग	**1352**	**867**	**1457**

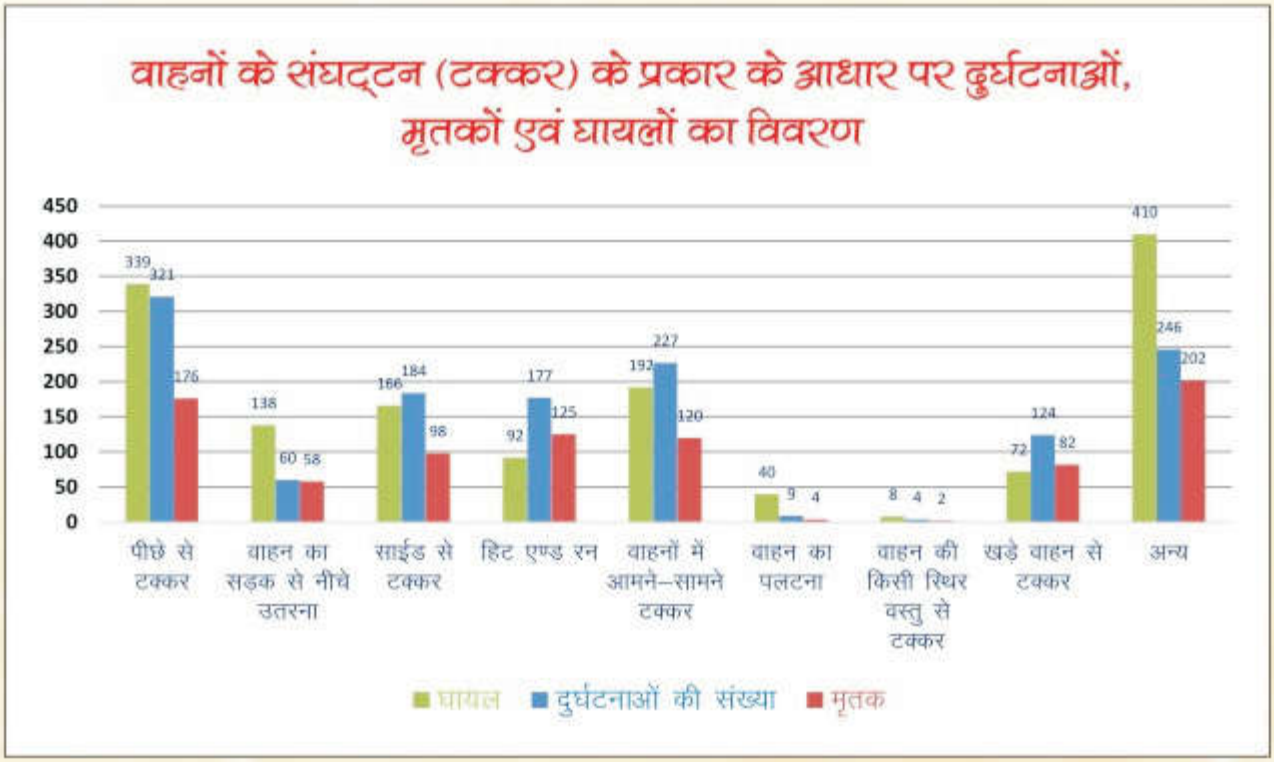

8. मार्ग के प्रकार के आधार पर दुघटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरण–

मार्ग का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
राष्ट्रीय राजमार्ग	662	428	705
राज्य राजमार्ग	342	253	370
अन्य मार्ग	348	186	382
योग	**1352**	**867**	**1457**

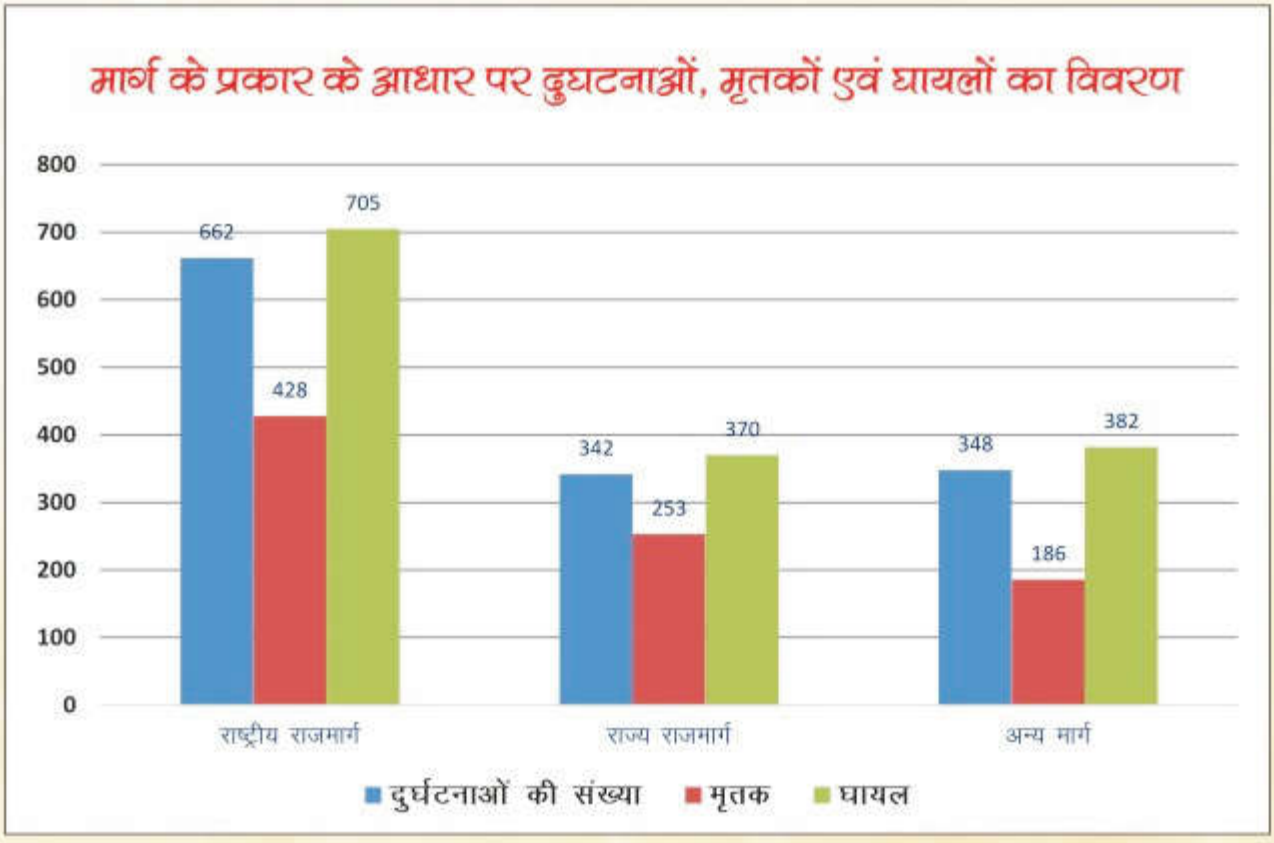

9. सड़क परिदृश्य के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण–

दुर्घटना क्षेत्र	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
आवासीय क्षेत्र	259	132	259
संस्थागत क्षेत्र	62	36	52
बाजार / व्यवसायिक क्षेत्र	377	188	350
खुला क्षेत्र	637	495	775
अन्य	17	16	21
योग	1352	867	1457

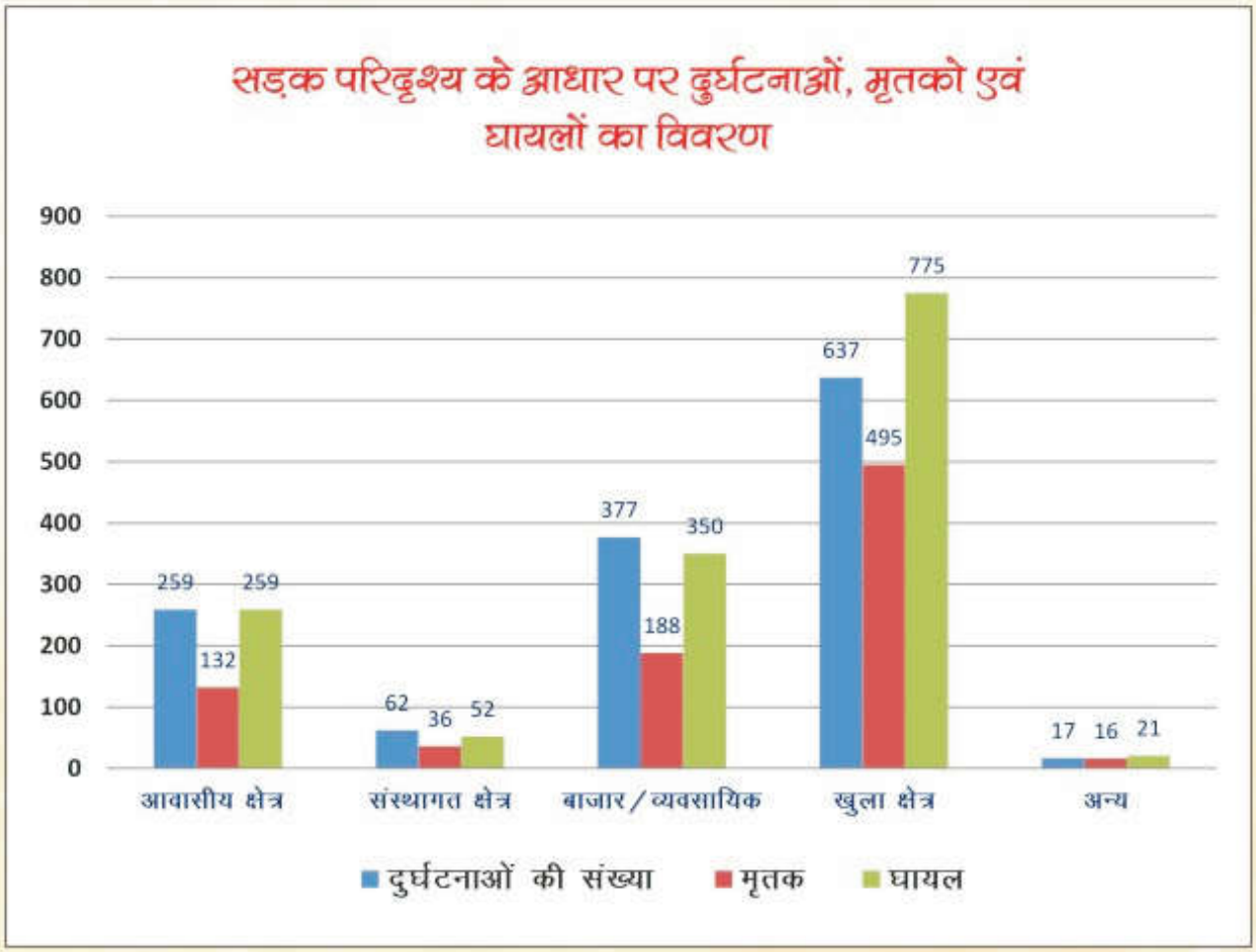

10. सड़क परिदृश्य के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण–

सड़क की विशिष्टता	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
सीधी सड़क	976	562	942
घुमावदार सड़क	206	166	284
पुल	22	23	14
कलबर्ट	15	7	18
पोटहाल्स	26	15	22
तीव्र ढाल वाली सड़क	12	08	11
निर्माणाधीन सड़क	27	34	49
अन्य	68	52	117
योग	1352	867	1457

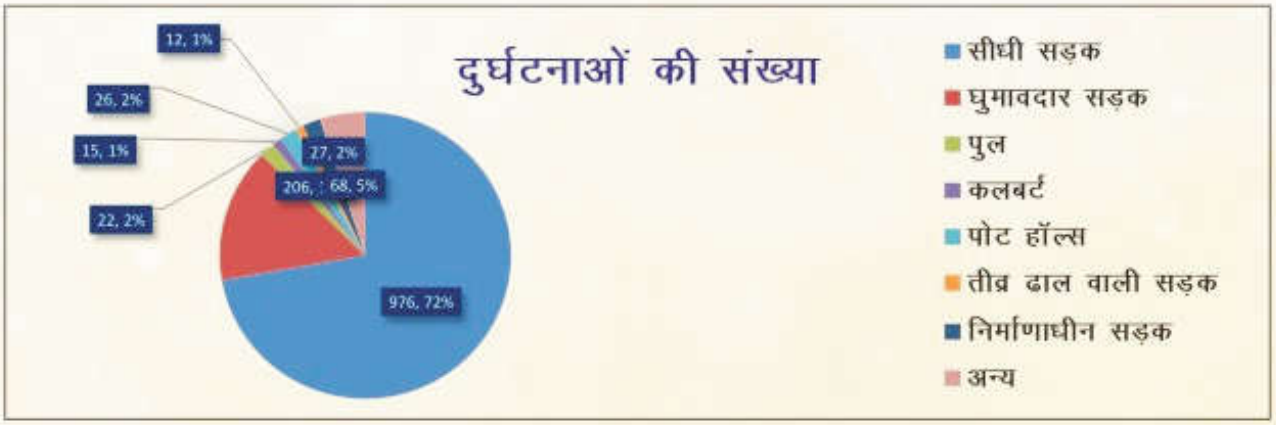

11. जंक्शन के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण–

जंक्शन का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
टी (T) जंक्शन	36	16	37
वाई (Y) जंक्शन	13	10	11
चतुर्भुजीय जंक्शन	62	25	59
अव्यवस्थित जंक्शन	50	33	29
घुमावदार जंक्शन	02	01	02
योग–	163	85	138

12. सड़क परिदृश्य के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण–

ट्रैफिक नियंत्रण का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
ट्रैफिक लाईट द्वारा नियंत्रित	11	5	13
पुलिस द्वारा नियंत्रित	29	12	28
स्टॉप संकेत द्वारा नियंत्रित	0	0	0
चमकती संकेतक / ब्लिंकर	1	1	0
अनियंत्रित	122	67	97
योग–	**163**	**85**	**138**

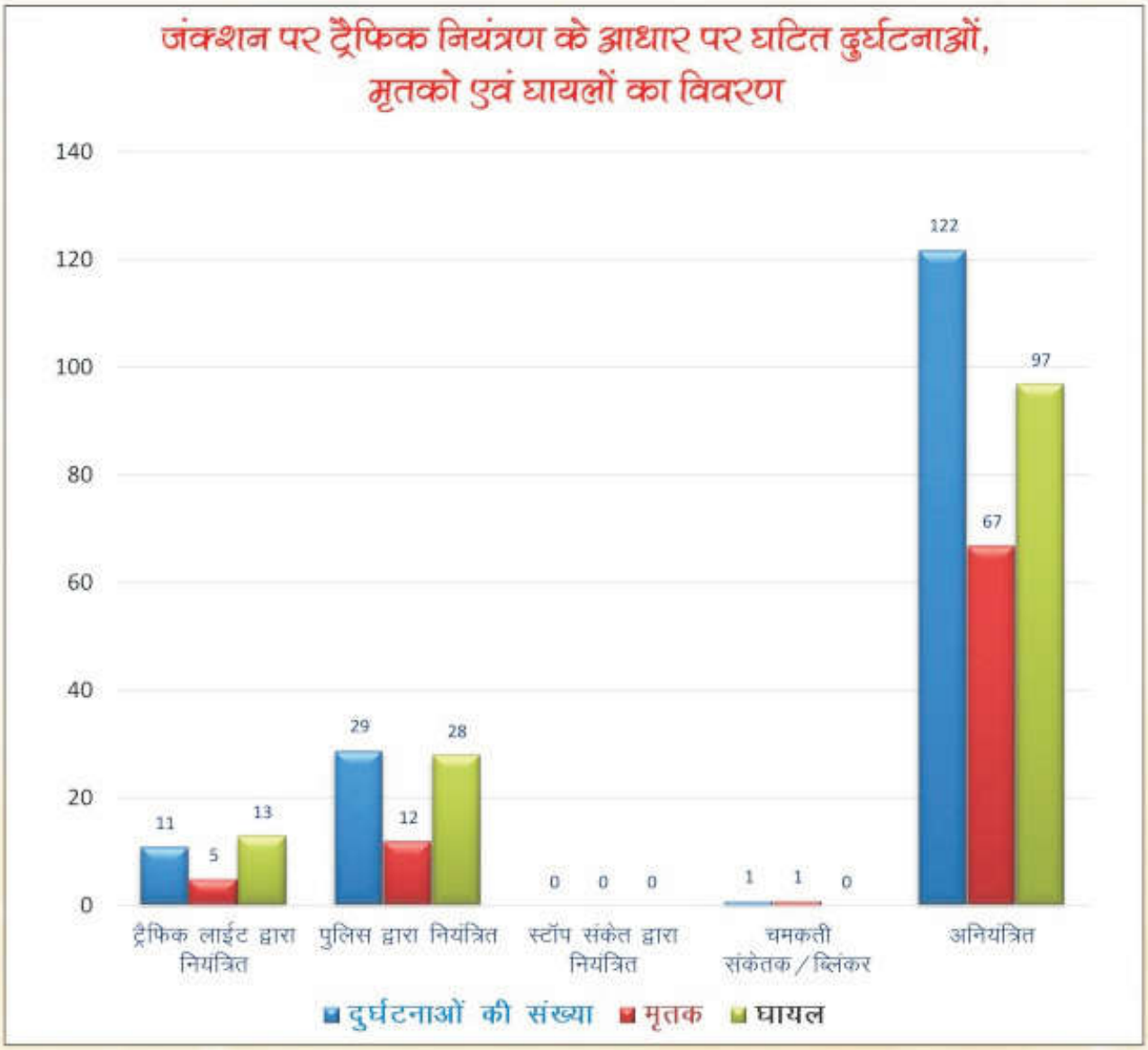

13. जलवायु की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण–

जलवायु अवस्था	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
धूप/साफ जलवायु	1087	694	1185
वर्षाकाल	162	88	153
कोहरा/धुंध	51	38	56
ओला–वर्षा	2	2	0
अन्य	50	45	63
योग–	**1352**	**867**	**1457**

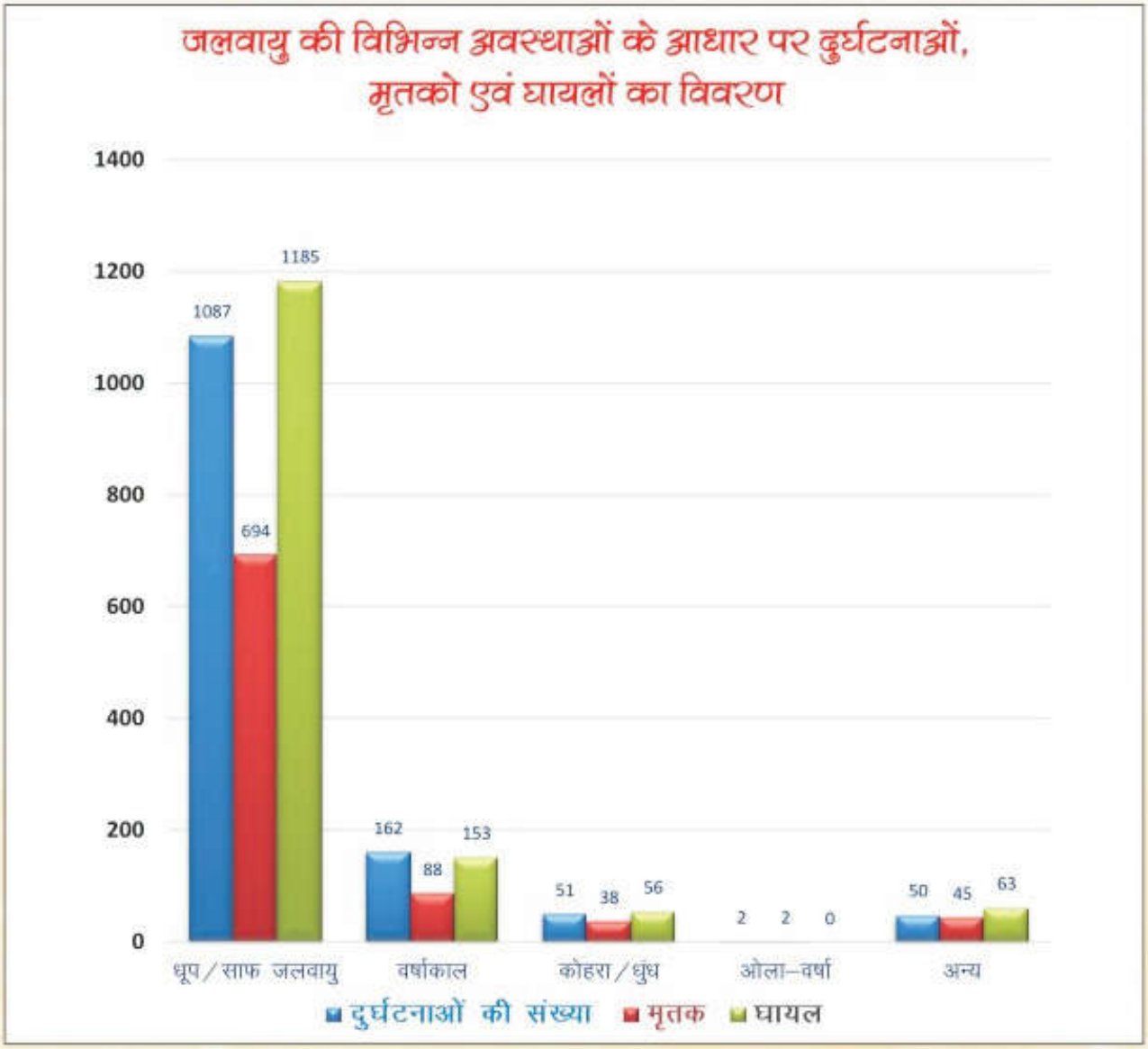

14. सड़क की उपयोगिता के आधार पर मृतकों एवं घायलों का विवरण :–

व्यक्ति	मृतक	घायल
1–पैदल	206	249
2–साईकिल सवार	29	16
3–दोपहिया सवार	342	467
4–आटो रिक्शा	20	50
5–कार / टैक्सी / वैन	70	192
6–ट्रक / लारी	18	32
7–बस	07	47
8–अन्य मोटरयान	09	11
9–अन्य व्यक्ति	166	393
योग–	**867**	**1457**

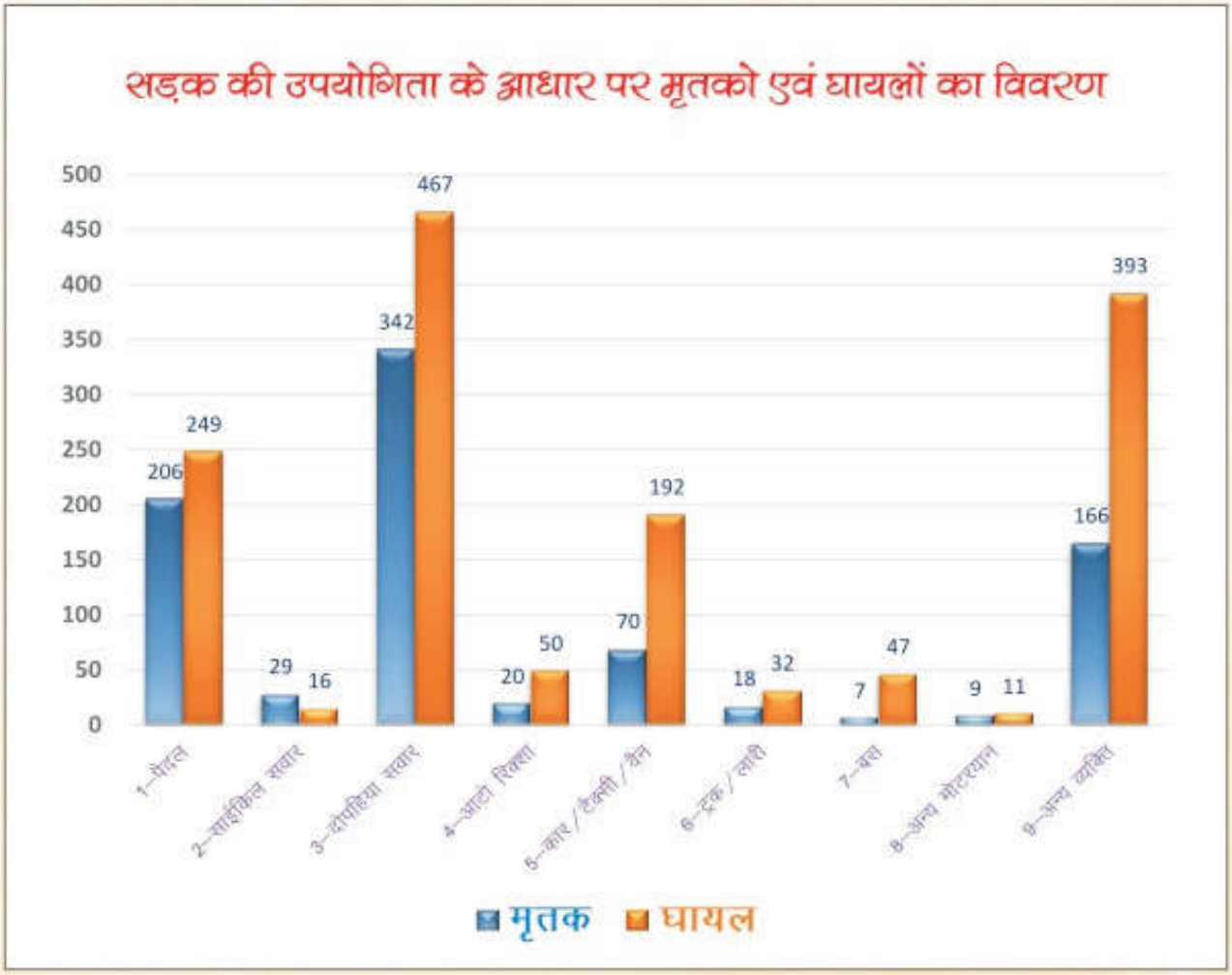

15. यातायात नियमों के उल्लंघन के प्रकार के आधार पर हुयी सड़क दुर्घटनाओं का विवरणः–

यातायात नियमों का उल्लंघन	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
ओवरस्पीडिंग	983	591	932
गलत दिशा में वाहन संचालन	25	17	24
शराब पीकर वाहन संचालन	102	52	107
वाहन संचालन करते समय मोबाईल फोन का प्रयोग करना	51	50	98
रेड़ लाईट जम्प करना	0	0	0
अन्य	191	157	296
योग–	**1352**	**867**	**1457**

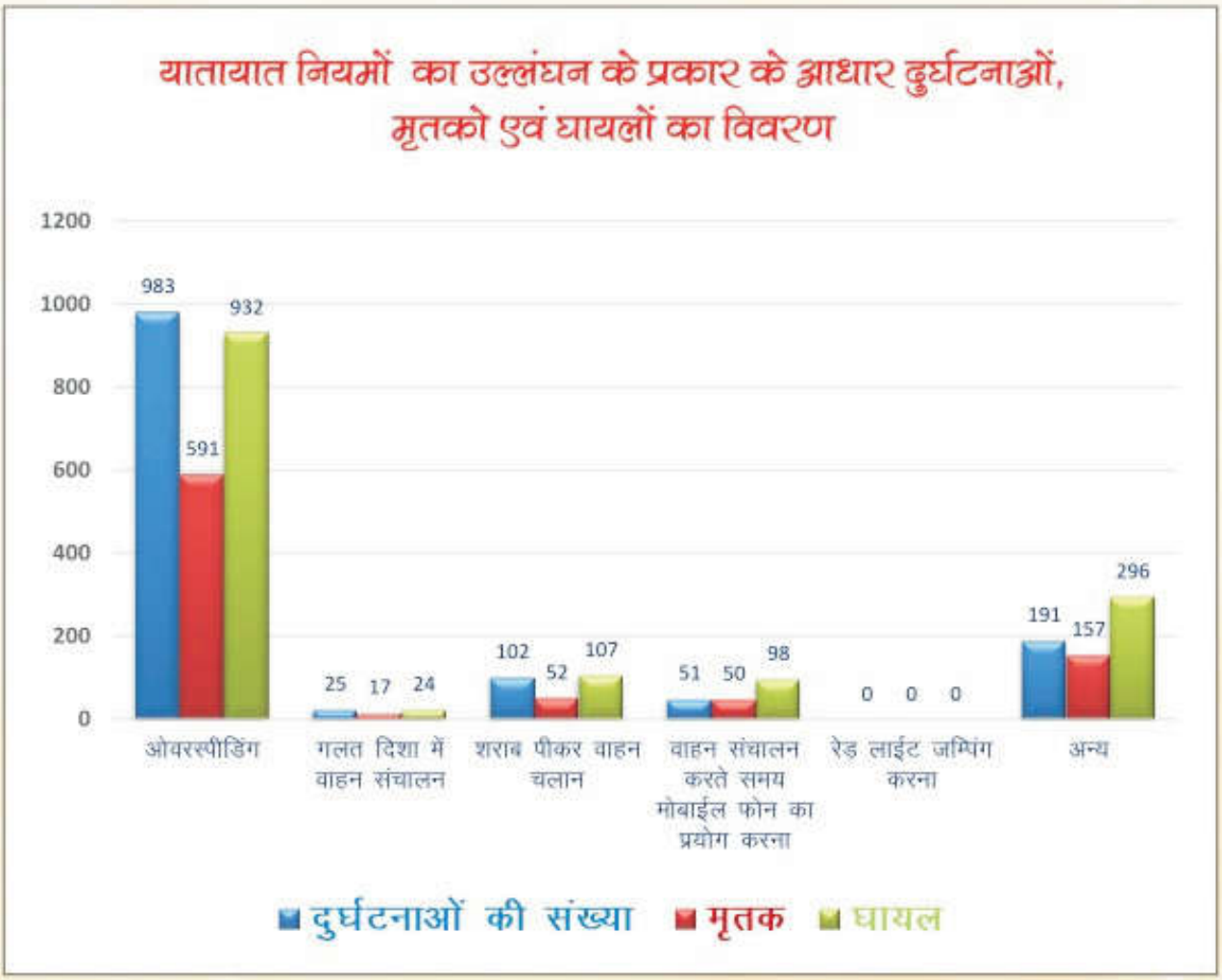

16. वर्ष 2019 में हुयी सड़क दुर्घटनाओं का विवरण चालक के लाईसेन्स के आधार पर :–

लाईसेन्स का प्रकार	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
वैध स्थायी लाईसेन्स	416	325
शिक्षार्थी लाईसेन्स	05	05
बिना लाईसेन्स	39	22
अज्ञात	290	221
योग–	750	573

जनपदवार वाहनों की संख्या एवं जनसंख्या

1. राज्य में जनपदवार वाहनों की संख्या एवं जनसंख्या।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	क्षेत्रफल वर्गकिमी0	जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	जनसंख्या घनत्व	वाहनों की संख्या	वाहन घनत्व
1	अल्मोड़ा	3,144	622506	198	41687	13.26
2	बागेश्वर	2,241	259898	116	16739	7.47
3	चमोली	8,030	391605	49	20324	2.53
4	चम्पावत	1,766	259648	147	33176	18.79
5	देहरादून	3,088	1696694	549	1165640	377.47
6	हरिद्वार	2,360	1890422	801	511511	216.74
7	नैनीताल	4,251	954605	225	351775	82.75
8	पौड़ी	5,329	687271	129	81407	15.28
9	पिथौरागढ़	7,090	483439	68	46159	6.51
10	रूद्रप्रयाग	1,984	242285	122	14834	7.48
11	टिहरी	3,642	618931	170	27295	7.49
12	उधमसिंह नगर	2,542	1648902	649	583943	229.72
13	उत्तरकाश	8,016	330086	41	15914	1.99
	योग	**53,483**	**10086292**	**189**	**2910404**	**54.42**

www.censusindia2011.com/uttarakhand-population.html

राज्य में सड़कों की स्थिति, ब्लैक स्पॉट आदि

1. उत्तराखण्ड राज्य में जनपदवार सड़को की लम्बाई (किमी) :–

जनपद का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग (किमी में)	राज्य राजमार्ग (किमी में)	प्रमुख जिला मार्ग	अन्य जिला मार्ग	ग्रामीण मार्ग	योग
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरकाशी	241.48	232.62	232.62	56.40	1749.36	2512.48
टिहरी	364.78	453.71	352.27	331.30	3997.29	5499.35
देहरादून	445.35	259.93	342.96	277.75	2950.41	4276.4
हरिद्वार	160.30	180.01	74.58	99.60	1328.38	1842.87
चमोली	197.80	170.70	213.54	246.15	2291.54	3119.73
रूद्रप्रयाग	194.92	218.60	82.75	85.31	1307.48	1889.06
पौड़ी	359.47	859.57	261.05	588.07	4820.63	6888.79
पिथौरागढ़	169.00	239.57	143.96	60.58	2314.82	2927.93
चम्पावत	143.66	273.92	-	15.01	1443.96	1876.55
बागेश्वर	82.00	218.64	50.50	121.82	1387.54	1860.5
अल्मोड़ा	230.50	684.48	160.18	596.48	2598.97	4270.61
नैनीताल	167.35	528.89	92.63	156.11	2658.12	3603.1
उधम सिंह नगर	197.49	196.27	106.15	80.02	1827.87	2407.8
हल्का वाहन मार्ग	-	-	-	-	43511.85	536.68
योग	**2954.1**	**4516.91**	**2113.19**	**2714.6**	**30676.37**	**43511.85**

2. ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण एवं सुधारीकरण :–

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार सड़क का 500 मीटर का वह भाग जहाँ विगत 03 वर्षों में 05 घातक सड़क दुर्घटनाएं हुई हों अथवा 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई हो, ब्लैक स्पॉट की श्रेणी में आता है।

उक्त परिभाषा के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य में (वर्ष 2013, 2014, 2015), (वर्ष 2014, 2015, 2016) तथा (वर्ष 2015, 2016, 2017) एवं (वर्ष 2016, 2017, 2018) में घटित सड़क दुर्घटनाओं के आधार पर राज्य में कुल 139 ब्लैक स्पॉटस का चिन्हीकरण किया गया है और उनमें सुधार हेतु सम्बन्धित सड़क निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया गया है। ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त जनपदों में दुर्घटना संभावित स्थलों का चिन्हीकरण करते हुए उनके सुधारीकरण हेतु भी सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये गये हैं।

जनपदवार चिन्हित ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना संभावित स्थलों की स्थिति निम्नवत् है :–

जनपद	ब्लैक स्पॉटस की संख्या	दुर्घटना सम्भावित स्थलों की संख्या
हरिद्वार	30	150
उधमसिंहनगर	32	13
देहरादून	50	127
नैनीताल	07	135
टिहरी	06	235
पौड़ी	02	269
उत्तरकाशी	04	102
चम्पावत	02	59
चमोली	02	61
अल्मोड़ा	02	517
रुद्रप्रयाग	0	88
बागेश्वर	0	118
पिथौरागढ़	02	53
योग	**139**	**1927**

3. राज्य में सड़को को सुरक्षित बनाये जाने के उद्देश्य से रोड सेफ्टी ऑडिट कराये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2019 माह दिसम्बर तक किये गये सड़क सुरक्षा आडिट का विवरण निम्नवत् है :–

राज्य में सड़कों की कुल लम्बाई (किमी0 में) (ग्रामीण सड़कों को छोडकर)	वर्ष 2019 तक किया गया सड़क सुरक्षा ऑडिट (किमी0 में)
12,299	3652

दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उठाये गये कदम

1. **राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक :–**

कलैण्डर वर्ष 2019 में मा0 परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक दिनांक 01–11–2019 को आहूत की गयी।

2. **अनुश्रवण समिति का गठन :–**

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना के न्यूनीकरण हेतु कलैण्डर वर्ष 2019 में अनुश्रवण समिति की बैठक दिनांक 18–06–2019 को आहूत की गयी।

3. **लीड एजेन्सी का गठन :–**

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करने हेतु शासनादेश संख्या–455/ix–1/2016/90/2016 दिनांक 26 सितम्बर, 2019 के अन्तर्गत सयुक्त परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में **लीड एजेन्सी** का गठन किया गया है। वर्तमान में संयुक्त परिवहन आयुक्त का रिक्त होने के कारण उप परिवहन आयुक्त, को लीड एजेंसी का अध्यक्ष नामित किया गया है। वर्तमान में लीड एजेन्सी में परिवहन, पुलिस एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तैनात किये गये हैं। कलैण्डर वर्ष 2019 में लीड एजेन्सी की बैठक दिनांक 08–03–2019 एवं दिनांक 14–11–2019 को परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

4. **जिला सड़क सुरक्षा समितियों का गठन :–**

कलैण्डर वर्ष 2019 में राज्य के विभिन्न जनपदों में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समितियों की 63 बैठके आहूत की गयी।

5. **सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना–**

उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2017 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड भासन की अध्यक्षता में दिनांक 05–02–2019 को कोष प्रबन्धन समिति की बैठक आहूत की गयी। उक्त निधि से कुल रूपये 4.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी, जिसमें परिवहन विभाग को रूपये 141.40 लाख, पुलिस विभाग को 161.03 लाख, लोक निर्माण विभाग को रूपये 90.34 लाख एवं शिक्षा विभाग को रूपये 7.23 लाख की धनराशि सड़क सुरक्षा कार्यो हेतु आवंटित की गयी।

6. वाहनों मे स्पीड गर्वनर स्थापित करना :–

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अन्तर्गत ओवरस्पीडिंग पर नियन्त्रण रखने हेतु सभी प्रकार की व्यवसायिक वाहनों (दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया साईकिल, अग्निशामक, एम्बुलेन्स एवं पुलिस यान को छोड़कर) पर गति नियन्त्रक (Speed Limiting Device) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य में व्यवसायिक वाहनों में स्पीड गर्वनर स्थापित करने हेतु 24 कम्पनियों को अधिकृत किया गया है। वाहनों के फिटनेस परिक्षण के समय वाहन पर गति नियंत्रक उपकरण लगाया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। दिनांक 01–10–2015 से पूर्व पंजीकृत लगभग 84,000 वाहनों पर गति नियंत्रक उपकरण संयोजित किये जा चुके है।

7. सार्वजनिक सेवायानों में वी0एल0टी0 डिवाइस स्थापित किया जाना :–

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 125एच के अन्तर्गत दिनांक 01–01–2019 से जीपीएस की स्थापना अनिवार्य की गयी है। राज्य में उक्त योजना लागू किये जाने हेतु परिवहन आयुक्त कार्यालय में कमान्ड एण्ड कंट्रोल रूम सेन्टर की स्थापना करते हुये राज्य में वाहनों में वीएलटीडी स्थापित करने हेतु 16 कम्पनियों को अधिकृत किया गया है। विभाग द्वारा एनआईसी को निक्की के माध्यम से सॉफ्टवेयर विकसित कराये जाने की कार्यवाही गतिमान है। राज्य में लगभग 6523 वाहनों में उक्त डिवाइस की स्थापना की जा चुकी है।

8. चालक प्रशिक्षण संस्थान, झाझरा :–

वाहन चालकों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से लगभग 4 हैक्टअर भूमि पर देहरादून में झाझरा नामक स्थान पर एक **वृहद चालक प्रशिक्षण संस्थान** (आईडीटीआर) की स्थापना की गयी है। वर्तमान में संस्थान का संचालन मैसर्स मारूति सुजुकी इण्डिया लि0 द्वारा किया जा रहा है। पर्वतीय मार्गों पर वाहन चालकों को दक्षतापूर्वक वाहन संचालन के उद्देश्य से आई0डी0टी0आर0, देहरादून में रुपये 317.29 लाख की लागत से हिल ट्रैक का निर्माण किया गया है।

चालक लाईसेन्स जारी करने सम्बन्धी कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु मैसर्स माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से HAMS सॉफ्टवेयर तैयार करते हुये चालकों की परीक्षा ऑटोमेटिड ड्राइविंग टैस्ट ट्रैक पर प्रारम्भ की गयी है। उक्त व्यवस्था से चालकों की परीक्षा में मानवीय हस्तक्षेप समाप्त हो गया है।

9. व्यवसायिक वाहनों के चालकों हेतु रिफ्रेशर कोर्स अनिवार्य :–

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के अन्तर्गत व्यवसायिक वाहन चालकों के लाईसेन्स नवीनीकरण से पूर्व 02/01 दिवस का **रिफ्रेशर प्रशिक्षण** अनिवार्य किया गया है। वर्ष 2019 तक आईडीटीआर द्वारा लगभग 95407 चालकों को उक्त प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

10. प्रवर्तन की कार्यवाही (पुलिस एवं परिवहन विभाग) :–

वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटना से सम्बन्धित अभियोगों में की गयी प्रवर्तन की कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:–

सड़क सुरक्षा के अभियोग	कुल चालान	लाईसेन्स के विरूद्व की गई संस्तुति
रेड लाईट जम्पिंग करना	3703	2324
निर्धारित गतिसीमा से अधिक गति से वाहन चलाना	25414	11347
भार वाहनों में क्षमता से अधिक भार ले जाना	15743	4514
भार वाहनों में यात्री ले जाना	4000	2204
वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग	24658	14375
नशे की हालत में वाहन चलाना	9546	3631
कुलयोग–	**83064**	**38395**

(ब) वर्ष 2019 में बिना हैल्मेट/सीट बैल्ट के अभियोग में निम्नवत प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी :–

अभियोग	चालान	काउंसलिग
चालक/सवारी द्वारा हैल्मेट न पहनना	473955	471602
सीट बेल्ट का प्रयोग न करना	52211	50330
कुलयोग–	**526166**	**521932**

11. जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन :–

सामान्य जनमानस को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से समय–समय पर विभिन्न स्कूलों में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित कराये गये। इसके अतिरिक्त विभिन्न मोटर यूनियनों के अन्तर्गत चालकों हेतु स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, रैली, कार्यशाला आदि का आयोजन किया गया।

12. "उत्तराखण्ड सडक परिवहन दुर्घटना राहत निधि" का गठन :–

(1) "उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम 2003" की धारा–8 के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवायानों से सम्बन्धित यात्रियों की दुर्घटना की स्थिति में मृतक आश्रित एवं घायलों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु **"उत्तराखण्ड सडक परिवहन दुर्घटना राहत निधि"** का गठन किया गया है।

(2) किसी सार्वजनिक सेवायान की दुर्घटना होने पर प्रभावित व्यक्तियों को मृत्यु की दशा में रूपये 1,00,000, गंभीर रूप से घायल होने पर रूपये 40,000 एवं साधारण घायल होने पर रूपये 10,000 की आर्थिक सहायता उक्त निधि से उपलब्ध करायी जाती है।

(3) उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2011 के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवायान से होने वाली दुर्घटना में मृतक/घायलों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश के जिलाधिकारियों को वर्ष 2018–19 में रुपये 2,27,72,127 की धनराशि तथा वर्ष 2019–20 में रुपये 1,38,64,758 की धनराशि आवंटित की गयी है।

13. राज्य में वर्ष 2019 तक स्थापित किये गये ट्रॉमा सेन्टर का जनपदवार विवरण :–

जनपद	ट्रॉमा सेन्टरों की संख्या	ट्रॉमा सेन्टर का नाम	संचालन की स्थिति
देहरादून	03	1–दून चिकित्सालय, देहरादून 2–एस0पी0एस0 चिकित्सालय ऋषिकेश 3–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विकासनगर	सम्बन्धित चिकित्सा इकाई के साथ संचालित।
चमोली	02	1–जिला चिकत्सालय गोपेश्वर 2–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कर्णप्रयाग	तदैव

उत्तरकाशी	01	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी	तदैव
हरिद्वार	01	संयुक्त चिकित्सालय रूड़की	तदैव
उधमसिंह नगर	01	एल0डी0 भट्टसंयुक्त चिकित्सालय, काशीपुर	तदैव
अल्मोड़ा	02	1–गोविन्द सिंह माहरा राजकीय चिकित्सालय, अल्मोड़ा। 2–पं0 गोवर्धन तिवारी बेस चिकित्सालय, अल्मोड़ा।	तदैव
बागेश्वर	01	जिला चिकित्सालय बागेश्वर	तदैव
चम्पावत	01	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोहाघाट	तदैव
पौड़ी	01	बेस चिकित्सालय कोटद्वार	तदैव
टिहरी	01	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काण्डीसौड	तदैव
पिथौरागढ़	–	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में ट्रामा सेन्टर के निर्माण/स्थापना की कार्यवाही गतिमान है।	तदैव
नैनीताल	01	सुशीला तिवारी चिकित्सालय हल्द्वानी	तदैव
रूद्रप्रयाग	–	कार्यवाही गतिमान	–
योग	15	–	–

14. उत्तराखण्ड राज्य में संचालित एम्बुलेन्स वाहनों का विवरण–

क्र0 सं0	विभागीय एम्बुलेन्सों की संख्या	108 के अन्तर्गत संचालित एम्बुलेन्सों की संख्या	108 के अन्तर्गत संचालित बोट एम्बुलेन्स
1	3	4	5
1	133	139	01

भविष्य की योजनाएं

1. **हल्द्वानी में वृहद चालक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण :–**

विगत् वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाओं में चालकों की अदक्षता, लापरवाही एवं तीव्र गति से वाहन चलाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या 60 प्रतिशत से अधिक है। अतः वाहन चालकों को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु देहरादून की भाँति कुमाऊँ मण्डल के हल्द्वानी नगर में भी एक वृहद चालक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुये सीआईआरटी पुणे को परामर्शी नियुक्त किया गया है। इस कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम हल्द्वानी को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। जिसके द्वारा संशोधित डीपीआर भारत सरकार को प्रेषित कर दी गयी है।

2. **चालकों की परीक्षा हेतु ऑटोमेटेड ड्राईविंग ट्रैक्स की स्थापना :–**

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् द्वारा 10 कार्यालयों (देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, ऋषिकेश, ऊधमसिंहनगर, काशीपुर, रूड़की, विकासनगर, कोटद्वार एवं अल्मोड़ा) पर ऑटोमेटेड ड्राईविंग ट्रैक्स के निर्माण के निर्देश दिए गए हैं। इस हेतु हरिद्वार, हल्द्वानी, टिहरी में भूमि उपलब्ध हो गयी है, जबकि हरिद्वार, हल्द्वानी एवं ऋषिकेश में भूमि उपलब्ध हो चुकी है। हरिद्वार में ट्रैक्स निर्माण हेतु रूपये 75.98 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था को 30.39 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है।

3. **वाहनों की फिटनेस हेतु आटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना :–**

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् द्वारा 06 स्थानों (देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, ऋषिकेश, अल्मोड़ा एवं कोटद्वार) में ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में इस हेतु हल्द्वानी एवं हरिद्वार में भूमि उपलब्ध हो गयी है।

राज्य में हल्द्वानी एवं हरिद्वार में भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु हल्द्वानी एवं हरिद्वार के लिये रुपये 10.28 X 2 कुल रुपये 20.56 करोड़ का प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। जिसकी स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा किसी स्थान पर उक्त लेन के निर्माण हेतु अधिकतम रूपयें 16.50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा सकती है। इसके इतर यदि अतिरिक्त धनराशि का व्यय होता है तो वह राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु रूपये 406.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है।

4. **प्रवर्तन दलों का सुदृढीकरण एवं सड़क सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था :–**

(क) राज्य में प्रवर्तन व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु परिवहन विभाग का पुर्नगठन किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

(ख) पुलिस विभाग द्वारा राज्य में 10 जनपदों (पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर के अतिरिक्त) में 16 इन्टरसेप्टर वाहनों को राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्गों पर पैट्रोलिंग हेतु तैनात किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस में सृजन हेतु प्रस्तावित 1759 पदों हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

(ग) वर्ष 2019 में परिवहन विभाग द्वारा राज्य सड़क सुरक्षा कोष से आवंटित धनराशि से 04 इन्टरसेप्टर वाहनों का क्रय किया गया था, जिनका प्रयोग वर्तमान में जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर एवं नैनीताल में प्रवर्तन कार्यों हेतु किया जा रहा है।

वर्ष 2020–2021 हेतु राज्य सड़क सुरक्षा कोष प्रबन्धन समिति द्वारा परिवहन विभाग हेतु वर्ष 2020–21 में स्वीकृत धनराशि से 04 इन्टरसेप्टर वाहन तथा 06 स्पीड रडार गन का क्रय किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

(घ) पुलिस विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा कोष से स्वीकृत धनराशि से 34 हाईवे पैट्रोलिंग कार, 50 सिटी पैट्रोलिंग बुलेट तथा 08 इन्टरसेप्टर वाहनें क्रय किया जाना प्रस्तावित है। इन वाहनों का प्रयोग राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रवर्तन कार्यों हेतु किया जायेगा।

5. **ब्लैक स्पॉट का सुधारीकरण :–**

राज्य में अध्यतन चिन्हित 139 ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण की कार्यवाही गतिमान है। वर्ष 2021 तक चिन्हित सभी ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण हेतु विभाग प्रयासरत है।

* * * * *

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड

कार्यालय परिवहन आयुक्त, कुल्हान सहस्त्रधारा रोड, देहरादून

web site: transport.uk.gov.in